राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/2010/ 560 दिनांकः– 25/11/2010

परिपत्र क्रमांक – 7/2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने एवं रिकार्ड संधारण से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देश

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु, जिलों के द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की जा रही हैं, पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 17(4)(जी) के अन्तर्गत, राज्य समुचित प्राधिकारी के पास राज्य में अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के कियान्वयन पर, पर्यवेक्षण करना प्रमुख कार्य है। वर्तमान में जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, यह ध्यान में आया है कि, समुचित प्राधिकारी निरीक्षण के दौरान, अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने के पश्चात भी, विधिक रूप से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं करके, विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर रहे हैं, जो गंभीरता की विषयवस्तु है।
2. समुचित प्राधिकारियों के प्रमुख कार्यों में, अधिनियम की धारा 17(4)(सी) के अनुसार, अधिनियम/नियमों के उल्लंघन की शिकायतों में, अनुसंधान करना एवं तत्काल कार्यवाही करना तथा धारा 17(ई) के अन्तर्गत, संबंधित केन्द्र के विरूद्व विधिक कार्यवाही किया जाना एवं धारा 17(4)(जी) के अन्तर्गत अधिनियम/नियमों के कियान्वयन पर पर्यवेक्षण रखना, आदि प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित समुचित प्राधिकारी में निहित है।
3. इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनीय होकर विधिक रूप से गंभीरता धारण करता है। संज्ञेय अपराध में परिवाद प्रस्तुत नहीं करके, अपने स्तर पर ही कार्यवाही को समाप्त किया जाना, विधिक आदेशों की अवज्ञा के साथ ही, संबंधित समुचित प्राधिकारी पर विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक उत्तरदायित्व भी निर्धारण करता है। लोक सेवक के रूप में विधिक आदेशों की अवज्ञा करते हुये, अपराध की स्थिति को छुपाया जाकर, दोषी व्यक्ति को विधिक दण्ड से बचाने का कृत्य विभागीय जांच की विषय–वस्तु होने के साथ ही पीसीपीएनडीटी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
4. श्रीगंगानगर जिले में, अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराधों के संबंध में, समुचित प्राधिकारियों द्वारा संज्ञेय अपराध में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप संबंधित समुचित प्राधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
5. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी पाया गया है कि, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत जिलों में संधारित की जा रही पत्रावलियॉ एवं रिकार्ड संधारण की प्रकिया के संबंध में, नोटशीट का संधारण किये बिना, निर्णय लिये जाकर आदेश जारी किये जाते हैं, जो उचित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत संधारित किया जाने वाला समस्त अभिलेख, न्यायिक कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु होकर, समय–समय पर न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख का प्रमाणिकरण किया जाना, विधिक रूप से आवश्यक हो जाता है। अभिलेख संधारण में पाई गईं त्रुटियां अधिनियम के उल्लंघन की विषयवस्तु होकर दण्डनीय अपराध भी है।
6. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी पाया गया है कि, जिलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, रिकार्ड का संधारण नहीं किया जा रहा है एवं जिलों के द्वारा राज्य समुचित प्राधिकारी को समुचित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, फलस्वरूप अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। राज्य स्तर पर सभी

प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति के फलस्वरूप ही, राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन किया जाना संभव है।

7. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व, नियम 6 की अनुपालना में समुचित प्राधिकारी के द्वारा केन्द्र से संबंधित जांच रिपोर्ट पूर्ण की जाकर, पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के प्रश्न पर, सलाहकार समिति की बैठक में सलाह प्राप्त करके, पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति जारी की जाती है, किन्तु वर्तमान में जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया है कि, केन्द्र से संबंधित, समुचित प्राधिकारी के द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट एवं सलाहकार समिति की बैठक में प्राप्त की गई सलाह से संबंधित निर्णय की प्रति, संबंधित पंजीयन पत्रावलियों में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, कि पंजीयन पत्रावलियां अधिनियम की अनुपालना के अनुरूप वैधानिक रूप से पूर्ण की जावे एवं पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रावधानों के अनुरूप अभिलेख में संधारित की जावे।

8. राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित विषय पर, राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में, अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से विचार किया गया। राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाकर, राज्य में अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर, समस्त समुचित प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

(1) जिला नोडल अधिकारी एवं सीएमएचओ कार्यालय के पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट में, प्राप्त शिकायतों/निरीक्षणों से संबंधित एक स्थाई रजिस्टर संधारित किया जावे, जिसमें अब तक किये गये निरीक्षणों/शिकायतों को कमानुसार दर्ज किया जाकर, अभिलेख का स्थाई रजिस्टर (निरीक्षण/परिवाद रजिस्टर) संधारण किया जावे। इस रजिस्टर में प्रत्येक मामले में विधिक रूप से, क्या कार्यवाही की गई एवं अंतिम नतीजे के बारे में भी प्रविष्टियां सुनिश्चित की जावें, ताकि अधिनियम की अनुपालना में विधिक रूप से, समुचित रिकार्ड संधारित किया जा सके।

(2) निरीक्षण/शिकायत (वेबसाईट पर प्राप्त शिकायत सहित) प्राप्ति पर, संधारित रजिस्टर में कमबद्ध प्रकरणों को दर्ज कर, मामले से संबंधित, निरीक्षण/शिकायत की प्रति राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट में प्रेषित की जावे।

(3) प्रत्येक प्रकरण में अनुसंधान के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन (नतीजा) दिया जाने पर, राज्य प्रकोष्ट को अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि एवं संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेजी जावें, जिसमें अंतिम प्रतिवेदन की स्थिति में, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने पर परिवाद की प्रति मय दस्तावेजात एवं परिवाद नहीं प्रस्तुत करने पर, परिवाद नहीं प्रस्तुत करने एवं कार्यवाही को समाप्त करने के क्या कारण रहे हैं की, विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सहित, राज्य प्रकोष्ट में भेजी जावें।

(4) पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत अब तक अन्तिम नतीजे दिये गये प्रकरणों में, परिवाद प्रस्तुत किये गये प्रकरण तथा जिन प्रकरणों को कार्यवाही समाप्त करके नस्तीबद्ध (फाईल) किया गया है, कि अलग–अलग कमानुसार सूची बनाई जाकर, संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सहित राज्य प्रकोष्ट को सूचना प्रेषित करते हुये रिकार्ड का संधारण किया जावे।

(5) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, सूचनाओं, सहमति पत्रों, प्रतिवेदनों, चार्ट, प्रारूप, एवं अपेक्षित सभी अन्य दस्तावेजों अथवा स्वतः प्रेरणा के आधार पर लिए गए समस्त निर्णय नोटशीट पर संधारित किए जाकर उनको मूर्त रूप देने के लिए आदेश जारी किये जावे एवं संबंधित आदेश की प्रतिलिपि पत्रावली में आवश्यक रूप से रखी जावे।

(6) जिलों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत संधारित की जाने वाली पत्रावलियो से संबंधित समस्त प्रकिया, पत्रावलियों पर नियमानुसार नोटशीट संधारित करके पूर्ण की जावे ताकि प्राप्त आवेदन पत्रों, एवं जारी किये जाने वाले आदेशों एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं पत्रावली की प्रकिया (Process-Day to Day Movement)

अभिलेख पर उपलब्ध हो सके जिसको विधिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार साबित किया जा सके।

(7) जिलों में केन्द्रो के द्वारा भेजे जाने वाले फार्म (फार्म एफ इत्यादि) की प्राप्ति से संबंधित स्थाई अभिलेख संधारण के लिये एक रजिस्टर रखा जाकर, प्रत्येक केन्द्र से प्राप्त होने वाले फार्मस की संख्या एवं प्राप्त होने की दिनांक सहित स्थाई अभिलेख का संधारण किया जावे।

(8) पंजीकरण आवेदन पत्रों पर की गई जांच रिपोर्ट एवं उस पर सलाहकार समिति के द्वारा दी गई सलाह से संबंधित बैठक के मिनिट्स का विवरण, संबंधित पंजीकरण पत्रावली में आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे एवं इस संबंध में राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जारी परिपत्र नं0 5/2010 की पालना में जांच की जाकर संबंधित पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जावे।

9. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश का उल्लंघन पायां जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(डॉ0 प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
10. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
12. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

(डॉ0 एम.एल.जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर